

औचित्य नोट

जनपद बाराबंकी में उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत बाराबंकी देवा फतेहपुर (प्रमुख जिला मार्ग सं0- 11 सी) के किमी 1 से 6 तक चौड़ीकरण सुदृढीकरण का कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-यू0ओ0-190/23-1-11 दिनांक 20.12.2011 द्वारा रू0 1422.19 लाख की प्राप्त हुई। मार्ग के किमी 3 में पूर्व में बनी हुई कल्वर्ट बहुत ही पुरानी एवं मात्र 5 मीटर चौड़ाई में हैं तथा कल्वर्ट की आयु लगभग पूर्ण हो चुकी है जबकि मार्ग की चौड़ाई कल्वर्ट के दौनो तरफ 7 मीटर है। अतः पुराने कल्वर्ट के समानान्तर एक नये कल्वर्ट एवं उसके पहुंच मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे यातायात सुगमता से चल सके। कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

M. Kumar
A.L. (राजीव कुमार)
अधिसूचना अधिकारी
निर्माण खण्ड-3, लोकनिर्माण,
बाराबंकी